राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2056/2013/भीलवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–सी, उदयपुर .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स सत्यनारायण ओमप्रकाश भण्डारी, बाजार नं. 2, भीलवाड़ा .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री राकेश मेहता
अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 13.10.2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 64/वैट/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है। उक्त निर्णय में आगे **"अधिकतम खुदरा मूल्य"** (Maximum Retail Price) को 'MRP' कहा जायेगा।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.07.2011 पारित किया गया। उक्त आदेश में संशोधन हेतू अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2011 को प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 13.06.2012 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार कर 24,334/–रूपये आईटीसी की राशि रिफन्ड किये जाने की प्रार्थना की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2013 को कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाकर कि उद्धेरित न्यायिक दृष्टांत के तथा संशोधित विधि के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित करें। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वैट रिर्टन में आई.टी.सी. क्लेम हेतु वैट 07

13/10/16

लगातार.....2

में किसी भी विक्रेता का नाम अंकित नहीं किया है तथा वैट 10 तथा ओडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार का इनपुट व आउटपुट नहीं दर्शाया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा MRP पर माल को क्रय किया गया और वैट चुका कर MRP पर विक्रय किया गया। जबकि राज्य के भीतर MRP पर टैक्स अदा कर कोई माल विक्रय किया गया वह इस अधिनियम की धारा 2(41) के अधीन Turnover की परिभाषा में नहीं आता है। इस लिये यह Taxable Turnover नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी किसी प्रकार का कोई आईटीसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने उपरोक्त तर्कों के परिपेक्ष में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2013 को विधि विरूद्ध होने के आधार पर अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी ने अपनी खरीद पर चुकाया आगत कर का मुजरा मांग था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्कॉउन्ट पर आगत कर को रिवर्स कर दिया था। उनका कथन है कि वैट एक्ट की धारा 2(33) में परिभाषित अनुसार यदि वैट अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज ए से जी तक की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ही पूर्व में मुजरा लिया गया आगत कर रिवर्स हो सकता है। प्रत्यर्थी ने धारा 18 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा प्रत्यर्थी ने फार्म वेट–07 में वर्णित पूरी खरीद पर कर चुकाया था तथा विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को चुका दिया था। इसलिए वैट–07 में घोषित आई.टी.सी. स्वीकृत होनी चाहिये। प्रत्यर्थी के विक्रेता ने वर्ष के अन्त में ट्रेड डिस्कॉउन्ट देते हुए विक्रय/क्रय राशि कम की थी जो कि सेल प्राइस की परिभाषा अनुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य से कम नहीं हो सकती थी इसलिए पूरे विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जा चुका था। राज्य सरकार ने वैट एक्ट की धारा 18(3)ए को दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसके अनुसार Subsidized Price पर विक्रय करने पर आगत कर विगत कर से अधिक नहीं हो सकता। यह संशोधन 09.03.2011 से प्रभावी होने के कारण प्रत्यर्थी के आलोच्य अवधि में लागू नहीं होता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2013 के आदेश में प्रकरण को प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्को के परिप्रेक्ष में वर्तमान अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

13/10/16

लगातार.....3

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.07.2011 में सम्पूर्ण विक्रय को MRP विक्रय दर्शाया गया है। उक्त आदेश के संशोधन हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2011 को प्रस्तुत किया गया और उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13.06.2012 को आदेश पारित कर इस अधिनियम की धारा 18(3)ए के अनुसार व्यवहारी का वैट इनपुट अधिक नहीं हो सकने के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2013 को निर्णय पारित कर उक्त प्रकरण को राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज सायला (2012) 24 सी.टी.एन.एस.–29(7) तथा हिंगड़ ट्रेडर्स मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं धारा 18(3)ए के संशोधित प्रावधान जो दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी है, के अनुसार यदि क्रय किये गये माल को बाद में Subsidized Price पर विक्रय किया जाता है तब आगत कर (Input Tax) जो स्वीकृत किया जाएगा वह अदा किये जाने वाले विगत कर (Output Tax) से अधिक नहीं होगा। उक्त प्रकरणों एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहारी द्वारा फर्टिलाईजर का MRP पर क्रय एवं विक्रय किया गया है। जबकि दोनों अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा MRP पर विक्रय से संबंधित प्रावधानों के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया। दोनों अधीनस्थ अधिकारियों ने Non-Aplicable Provisions पर विचार किया है जो सुसंगत नहीं है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का विक्रय MRP पर किया गया है। क्या MRP पर किये गये विक्रय पर व्यवहारी आईटीसी प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं? इस पर विचार करने के लिये इस अधिनियम की धारा 4(7), धारा 2(40) एवं 2(41) पर विचार किया जाना समीचीन होगा।

<u>धारा 4(7)</u> :–

"Notwithstanding anything contained in this Act, any registered dealer, who imports into, or manufactures in, the State such goods as may be notified by the State Government, may, at his option, pay in lieu of the tax payable by him on sale price of such goods under this Act, a tax at full rate on the maximum retail price of such goods in the manner as may be prescribed;

13/10/16

लगातार.....4

Provided that where a dealer has purchased any goods -

(a) from aforesaid importer or manufacturer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods; or

(b) from another registered dealer where tax on the maximum retail price of such goods was paid in the State on an earlier occasion, the purchasing dealer, irrespective of whether he is registered or not, while making resale of such goods in the State, shall, notwithstanding anything contained elsewhere in the Act, be entitled to recover from the buyer the amount of tax paid by him at the time of purchase of such goods under such conditions and restrictions, and in such manner, and within such time, as may be prescribed;

7. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2006 तथा 18.10.2006 को नोटिफिकेशन पारित किया गया जो निम्न प्रकार है:–

S.No. 2051 F.12(63)FD/Tax/2005-175 Dated : 31-03-2006

S.O. 475. In exercise of the powers conferred by sub-section(7) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003), the State Government, hereby notifies, (1) drugs and medicines as mentioned at S.No. 43 of sohedule-IV appended to the Act, (2) Dietary supplement including nutritional supplement protiein supplements, health food, 2[***] (3) tooth pustes, sonps and creams as manufactured by pharmaceutical industries under license issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act No. 23 of 1940), [and (4) Chemicals Fertilizers to be the goods for which option can be exercised by a registered dealer who imports in to manufacturers these goods in the State, to pay tax on maximum retail price (MRP) of such goods. This shall have effect from April 1,2006.`

S.No. 2151 F.12(63)FD/Tax/2005-105 Dated : 18-10-2006

In exercise of the powers conferred by sub-section(7) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F.12(63)FD/Tax/2005-175 (S.No. 2050) dated 31-03-2006 (as amended from time to time), namely:

Amendment

In the said notification

(i) the existing expression "and" appearing after the expression "health food" and before the expression "(3)" shall be deleted.

(ii) after the existing expression "under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act No. 23 of 1940) "the expression" and (4) chemical fertilizers" shall be added.

13/10/16

लगातार.....5

धारा 2(40) :–

"Taxable Turnover" means, that part of turnover, as may be determined after making such dedication from the total turnover as may be prescribed on which a dealer shall be liable to pay tax under this Act.

धारा 2(41) :–

"Turnover" means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub section (2) of section 4 [but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion];

इस अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार कोई भी रजिस्टर्ड डीलर राज्य के भीतर ऐसे माल का आयात व विनिर्माण करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है उसके पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसे माल पर विक्रय मूल्य पर अदा किये जाने वाले कर के स्थान पर एक कर ऐसे माल की अधिकतम खुदरा मूल्य पर अदा कर सकेगा। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वीकृत रूप से राज्य के अन्दर अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर वैट चुका कर कैमिकल फर्टिलाईजर की खरीद करना बताया है तथा वैट चुका कर MRP पर विक्रय किया गया। MRP पर राज्य के भीतर टैक्स अदा कर कोई माल विक्रय किया गया वह इस अधिनियम की धारा 2(41) के अधीन Turnover की परिभाषा में नहीं आता है। इस लिये यह Taxable Turnover नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वैट रिर्टन में आई.टी.सी. क्लेम हेतु वैट 07 में किसी भी विक्रेता का नाम अंकित नहीं किया है एवं वैट 7 व वैट 8 प्रपत्र में किसी प्रकार की खरीद व बिक्री का उल्लेख नहीं है, केवल खाली प्रपत्र संलग्न किये गये है। वैट 10 एवं ओडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार का इनपुट व आउटपुट नहीं दर्शाया गया है। वैट अधिनियम के प्रावधान ऐसे तथ्यात्मक परिपेक्ष में आई.टी.सी. (Input Tax Credit) की अनुज्ञा नहीं देते हैं। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी वैट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार का कोई आई.टी.सी. प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.07.2013 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

13/10/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य